

- 1 -

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 12/2021

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धतरवाला पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- निगरानीकार

-बनाम-

1. सूबेसिंह पुत्र भूराराम जाति जांगिड़निवासी ग्राम कुतुबपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला, पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

- गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरुद्ध
जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.75 द्वारा ग्राम पंचायत धतरवाला
उपस्थिति:-


1. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट ----- - -----निगरानीकार की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 05.08.2021

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरुद्ध जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.1975 ग्राम पंचायत धतरवाला के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि- ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 विधि विरुद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काशत स्कूल के नाम से दर्ज है, का पट्टा बिना कोई रिकार्ड की जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि विधि विरुद्ध जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि

ज. 12/21
अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू



नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि उक्त पट्टे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने मनमाने तरीके से निगरानीकार की जानकारी में लाये बिना ही सम्पूर्ण कार्यवाही कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। गैर निगरानीकारा सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै.मु. जोहड़ के नाम दर्ज रही है जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर गै.मु. स्कूल के नाम दर्ज है। तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच किये व राजस्थान पंचायती राज अधि० के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं है। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी मर्जी से उक्त पट्टे जारी किये हैं, जो शून्य व निष्प्रभावी है। अतः पट्टा गलत होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 विधि विरुद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै० मु० जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है, का पट्टा बिना कोई रिकार्ड की जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु० जोहड़ की भूमि विधि विरुद्ध जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि

5-7
अति. निगा. पंचायत
मुंबई

उक्त पट्टे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने मनमाने तरीके से निगरानीकार की जानकारी में लाये बिना ही सम्पूर्ण कार्यवाही कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। जहां तक हस्तगत निगरानी में प्रस्तुत पट्टे का प्रश्न है, उक्त पट्टा ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी नहीं किया जाना ग्राम पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया है। ग्राम पंचायत का कथन है कि तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच किये व राजस्थान पंचायती राज अधि0 के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी ही नहीं हुआ तो यह दस्तावेज पट्टा नहीं है एक फर्जी दस्तावेज है इसकी वैधानिकता शून्य है। पट्टा निरस्त वह किया जाता है, जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी हो लेकिन विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना जारी किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी ही नहीं किया गया है। निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे की आड़ में जिस भूमि पर काबिज होना बताया गया है वह भूमि भी गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। और ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत पट्टा, पट्टा न होकर एक रद्दी पेपर है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होने से यह दस्तावेज शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार उक्त फर्जी दस्तावेज की आड़ में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पट्टा निरस्त किया जावे। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते

अति. निगरानीकार
२९/११/७५

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में सुबेसिंह पुत्र भूराराम जाति जांगिड निवासी ग्राम कुतुबपुरा के नाम से प्रस्तुत पट्टे को शून्य दस्तावेज घोषित किया जाता है।



(जे० पी० गोड्डा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे० पी० गोड्डा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू